न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 80/2019 दायरा दिनांक : 22.10.2018

उनवान

1– रूकमणीबाई पत्नी भीमराज, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

2– सुगना पुत्री भीमराज, पत्नी हंसराज, जाति गूजर, निवासी रायथ्‌ल

3– अनिता पुत्री भीमराज पत्नी पुरूषोत्तम, जाति गूजर, निवासी भटवाडा

4– सागरबाई पुत्री भीमराज, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

5– शांतिबाई पुत्री भीमराज, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

6– रामप्रताप पुत्र श्योजीराम, जाति गूजर, निवासी गुदारावनी तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– किशनलाल पुत्र नन्दा, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

2– रामपाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

3– सूरजमल पुत्र कन्हैयालाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

4– कमलीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी महेन्द्र कुमार, जाति गूजर, निवासी रारौती खेडली, तहसील बारां

5– पांचूलाल पुत्र भोज्या, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6– नट्टीबाई पत्नी शिवनारायण पुत्री भोज्या, जाति गूजर, निवासी बोरेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7– प्रेमबाई पत्नी मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

8– ओमप्रकाश पुत्र मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

9– गिर्राज पुत्र मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

10– हरिशंकर पुत्र मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

11– बंटी पुत्र मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

12– पदमा पुत्री मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

13– सीमाबाई पुत्री मोरपाल, जाति गूजर पत्नी धनराज गूजर, निवासी उतनवाड (बडोदा) जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

14– रामसिया पुत्री मोरपाल पत्नी राकेश, जाति गूजर, निवासी नरबदखेड़ी, तहसील नायब तहसील सुल्तानपुर, जिला कोटा

15– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 79 / 2019 दायरा दिनांक : 22.10.2018

उनवान

1– रुकमणीबाई पत्नी भीमराज, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

2— सुगना पुत्री भीमराज, पत्नी हंसराज, जाति गूजर, निवासी रायथल

3— अनिता पुत्री भीमराज पत्नी पुरूषोत्तम, जाति गूजर, निवासी भटवाडा

4— सागरबाई पुत्री भीमराज, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

5— शांतिबाई पुत्री भीमराज, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

6— रामप्रताप पुत्र श्योजीराम, जाति गूजर, निवासी गुदारावनी तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— किशनलाल पुत्र नन्दा, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

2— रामपाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी

3— सूरजमल पुत्र कन्हैयालाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

4— कमलीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी महेन्द्र कुमार, जाति गूजर, निवासी रारौती खेडली, तहसील बारां

5— पांचूलाल पुत्र भोज्या, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

6— नट्टीबाई पत्नी शिवनारायण पुत्री भोज्या, जाति गूजर, निवासी बोरेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7— प्रेमबाई पत्नी मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

8— ओमप्रकाश पुत्र मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मांगरोल

9– गिर्राज पुत्र मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

10– हरिशंकर पुत्र मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

11– बंटी पुत्र मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

12– पदमा पुत्री मोरपाल, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी, तहसील मांगरोल

13– सीमाबाई पुत्री मोरपाल, जाति गूजर पत्नी धनराज गूजर, निवासी उतनवाड (बडोदा) जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

14– रामसिया पुत्री मोरपाल पत्नी राकेश, जाति गूजर, निवासी नरबदखेड़ी, तहसील नायब तहसील सुल्तानपुर, जिला कोटा

15– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

....रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.08.2022**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 30/2009 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.02.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट किशनलाल वगैरह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 183, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल जिला बारां के स्थायी निवासी हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा ग्राम पगारा, तहसील मांगरोल में स्थित है। उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 1.84 हेक्टर डाले गये जो राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2031–2034 व जमाबंदी सम्वत 2065–2068 व मिलान क्षेत्रफल 2044–2063 से वादग्रस्त आराजी की पुष्टि होती है। वादग्रस्त आराजी पैतृक है जो जमाबंदी सम्वत 2031–2034 में नन्दा, भोज्या, सोज्या पुत्रान कंवरिया, जाति गूजर, निवासी गुदरावनी बहैसियत खातेदार दर्ज है व तीनों खातेदारान नन्दा, भोज्या, सोज्या का स्वर्गवास हो चुका है । स्वर्गवास होने के पश्चात उनके पुत्रों का नाम इंतकाल तस्दीक होना चाहिए था, लेकिन मात्र सोज्या उर्फ श्योजीराम के वारिसान प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 का नाम दर्ज हुआ है तथा नन्दा व भोज्या के वारिसान को राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। प्रतिवादीगण ने दौराने सैटलमेंट भू–राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर समस्त आराजी अपने खाते बधा ली है और वादीगण का नाम खाते में आने से रह गया है, जबकि वादीगण भी वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से के अधिकारी हैं व प्रतिवादीगण के साथ वादीगण का नाम भी खाते में 1/3 हिस्से की हैसियत से दर्ज होना चाहिए था। खसरा नम्बर 51 रकबा 1.84 हेक्टर प्रतिवादीगण

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 1 लगायत 4 के खाते दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण उक्त आराजी को बेचान या अन्य किसी भी तरह से खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं जिसको जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है ताकि वादीगण वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा 1/3 अलग से बंटवारा करवाकर अपने खाते बधाने के वैधानिक अधिकारी हैं। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा पृथक करते हुए, खाते दर्ज करते हुए उक्त 1/3 हिस्से को प्रतिवादीगण के कब्जे से मुक्त कराकर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, और स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करें । वादीगण को प्रतिवादीगण से उनके हिस्से की आराजी का अब तक का मुआवजा भी दिलवाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद दिनांक 23.02.2012 को स्वीकार कर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम अस्वीकार किया है । ग्राम पगारा पटवार मण्डल ईश्वरपुरा की आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 1.84 हेक्टर पर वादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, वादी क्रम 2 लगायत 4 का 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजियात रकबा 1.84 हेक्टर के हिस्सा 2/3 से बेदखल करके उपरोक्तानुसार वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे। तहसीलदार मांगरोल वादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 व वादी क्रम 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/3 हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को भिजवाये। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.02.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2014 को जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील संख्या 80/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण 1 लगायत 5 के पिता व अपीलांट कम 6 को बिना विधिवत सुनवायी किये निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 23.02.2012 पारित की है । वादी कन्हैयालाल का देहान्त हो चुका है और रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 4 उसके वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान है, पत्नी का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी मोरपाल का देहान्त हो चुका है जिसके वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान रेस्पोडेंट कम 7 लगायत 14 हैं इसी प्रकार मृतक भीमराज के वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान अपीलांट कम 1 लगायत 5 हैं। प्रतिवादी कम 4 कल्याणीबाई बेवा श्योजीराम गूजर का देहान्त हो चुका है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद मृतक के विरूद्ध दिनांक 01.05.2009 को पेश किया गया है जिसमें 24.06.2009 तलबी हेतु तारीख पेशी नियत की गई थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 24.06.2009 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि "पत्रावली पेश हुई प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर से श्री बुद्धिप्रकाश मालव एडवोकेट, एवं श्री रामरतन गोचर एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया । प्रतिवादी कम 4 कल्याणीबाई नोटिस सम्मन की रिपोर्ट के आधार पर फौत हो चुकी है। अतः पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22.07.2009 को पेश हो।" इसके पश्चात् वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 4 कल्याणीबाई के एल आर बनाये जाने के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद डिकी किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिकी पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट कम 6 एवं अपीलांट कम 1 लगायत 5 के पिता भीमराज द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कभी भी अपना कोई वकील नियुक्त नहीं किया गया था

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

और ना कोई जवाबदावा पेश किया गया। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादग्रस्त आराजी किस प्रकार से श्योजीराम के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व साक्ष्य से ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.02.2012 अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलांटगण को विधिवत सुनवायी एवं अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए मृतक कल्याणीबाई के वैधानिक वारिसान एवं कायम मुकामान बनाया जाकर विधिवत सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

अपील संख्या 79/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण 1 लगायत 5 के पिता व अपीलांट क्रम 6 को बिना विधिवत सुनवायी किये निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 पारित की है। वादी कन्हैयालाल का देहान्त हो चुका है और रेस्पोडेंट क्रम 2 लगायत 4 उसके वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान है, पत्नी का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी मोरपाल का देहान्त हो चुका है जिसके वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान रेस्पोडेंट क्रम 7 लगायत 14 हैं इसी प्रकार मृतक भीमराज के वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान अपीलांट क्रम 1 लगायत 5 हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.02.2012 के अनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। इसके पश्चात् उक्त पत्रावली में किसी भी प्रकार की कोई तारीख पेशियां नियत नहीं की गई, ना पत्रावली में यह अंकन किया गया कि पत्रावली में कब तहसील के लिये तहरीर जारी की गई केवल वादीगण के मिलीभगत से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाकर दिनांक 02.07.2014

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी ए)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को लगभग 2 वर्ष 5 माह बाद पत्रावली को रेकार्ड पर लिया जाकर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होना व दोनों अधिवक्ताओं की सहमति लिखना अंकित कर अंतिम डिक्री पारित कर दी गई, जबकि किसी के हस्ताक्षर आदेशिका पर नहीं है, न ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटगण या मोरपाल भीमराज को सूचित किया गया । इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव भी नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री भी मृतक कल्याणीबाई के विरूद्ध पारित की गई है जबकि कल्याणीबाई का देहान्त दावा करने के पूर्व में ही हो चुका था, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.06.2009 में भी मृतक कल्याणबाई के फौत होने का अंकन है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कल्याणीबाई के विरूद्ध अंतिम डिक्री पारित की गई, जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। ग्राम पगारा की आराजी खसरा नम्बर 51 एवं खसरा नम्बर 51/122 कुल रकबा 2.97 हेक्टर पर पूर्व में मृतक मोरपाल, भीमराज व अपीलांट कम 6 काबिज काश्त रहे एवं मोरपाल व भीमराज के देहान्त के बाद उनके वारिसान व अपीलांट कम 6 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण/रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 6 का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना वर्तमान में है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2014 अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2014 अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलांटगण को विधिवत अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए मृतक कल्याणीबाई के वैधानिक वारिसान एवं कायम मुकामान बनाया जाकर विधिवत सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रवन्ध अधिकारी, कोटा

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2011(1) पेज 614 एवं आर आर टी 2011(2) पेज 851 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.02.2012 के अनुसार "पत्रावली पेश हुई । वकुलाईफिकेन उप0, वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली के साथ सलंग्न है । पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।" इसके पश्चात् पत्रावली में किसी भी प्रकार की कोई तारीख पेशियां नियत नहीं की गई हैं और ना ही पत्रावली में यह अंकन किया गया है कि पत्रावली किस दिनांक को तहसील के लिये तहरीर जारी की गई । ऐसा कोई अंकन पत्रावली में नहीं है जिससे जाहिर होता है कि बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर नहीं तैयार किया गया है और ना ही अपीलांट की उपस्थिति में तैयार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी ए)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 80/2019 एवं 79/2019 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.02.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2014 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/8/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा